

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

ज्ञापांक :-2/नि०-04/16 956 (2) /स्वा०, बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (पैथोलॉजी) (मूल कोटि) के पद पर विज्ञापन संख्या-10/2014 के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित निम्नांकित विशेषज्ञ चिकित्सक (मूल कोटि) (पैथोलॉजी) के पद पर रू०-9300-34800/- (पी०बी०-2) एवं ग्रेड पे०-5400 के वेतनमान में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ प्रभार ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख संस्थान में पदस्थापित किया जाता है :-

पैथोलॉजी :-

क्र० सं०	अनुक्रमांक	नाम	जन्म तिथि	गृह जिला	कोटि	पदस्थापन हेतु प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7
1	1001	डा० मो० शकीर अहमद	11.01.1975	दरभंगा	सामान्य	सहायक प्राध्यापक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया।
2	1060	डा० सुवेन्दु कुमार सिंह	04.02.1976	नवादा	सामान्य	सदर अस्पताल, भागलपुर।
3	1059	डा० राम उग्रह प्रसाद	05.02.1972	पूर्वी चम्पारण	सामान्य	सदर अस्पताल, समस्तीपुर।
4	1033	डा० आमोद कुमार	24.01.1982	बेगूसराय	सामान्य	सहायक क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।
5	1011	डा० मो० अली मुजफ्फर	25.01.1980	पटना	सामान्य	ट्यूटर, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।
6	1026	डा० शुचिस्मिता	25.12.1981	मुजफ्फरपुर	सामान्य	अनुमण्डल अस्पताल, बनमनखी, पूर्णियाँ।
7	1010	डा० रखशिन्दा करीम	04.05.1982	गया	सामान्य	ट्यूटर, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।
8	1035	डा० सोनल वर्मा	04.06.1981	पटना	सामान्य	ट्यूटर, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर।
9	1069	डा० विजय कुमार झा	02.03.1976	बेगूसराय	सामान्य	ट्यूटर, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा।
10	1006	डा० अनामिका कश्यप	26.02.1986	बेगूसराय	सामान्य	ट्यूटर, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
11	1025	डा० आशीष कुमार झा	05.01.1979	दरभंगा	सामान्य	ट्यूटर, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, दरभंगा।
12	1018	डा० रश्मि रानी भारती	30.10.1980	पटना	सामान्य	सहायक क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।
13	1105	डा० अमित कुमार	05.02.1980	पटना	सामान्य	सदर अस्पताल, छपरा, सारण।



14	1055	डा० मनीष कुमार सिंह	23.02.1974	पटना	सामान्य	सदर अस्पताल, जहानाबाद।
15	1019	डा० प्रियंका पूनम	03.09.1984	पटना	सामान्य	ट्यूटर, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।
16	1004	डा० गुड्डी रानी सिंह	12.04.1983	पटना	सामान्य	सदर अस्पताल, भोजपुर।
17	1039	डा० आलोक कुमार	21.07.1973	बेगूसराय	सामान्य	सदर अस्पताल, खगड़िया।
18	1075	डा० सुशील कुमार	11.02.1980	भागलपुर	सामान्य	सदर अस्पताल, बाँका।
19	1015	डा० रविन्द्र नाथ प्रसाद	02.10.1976	मधुबनी	सामान्य	ट्यूटर, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, दरभंगा।
20	1017	डा० आलोक कुमार	06.01.1981	लखीसराय	सामान्य	सदर अस्पताल, मुंगेर।
21	1106	डा० आदित्य कुमार झा	14.06.1981	पश्चिम चम्पारण	सामान्य	सदर अस्पताल, कटिहार।
22	1036	डा० नीशि	12.11.1976	वैशाली	सामान्य	सदर अस्पताल, दरभंगा।
23	1062	डा० सतीश कुमार	21.07.1979	पटना	सामान्य	सदर अस्पताल, भभुआ, कैमूर।
24	1040	डा० आशीष गुप्ता	27.06.1979	सीतामढ़ी	सामान्य	ट्यूटर, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया।
25	1074	डा० मनोज कुमार	16.11.1970	पटना	सामान्य	ट्यूटर, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
26	1048	डा० रवि भूषण रमण	31.01.1977	पटना	अनु०जाति	सदर अस्पताल, अररिया।
27	1029	डा० अजीत कुमार	13.01.1981	दरभंगा	अनु०जाति	सदर अस्पताल, सीतामढ़ी।
28	1091	डा० अनिल कुमार	06.05.1977	सिवान	अनु०जाति	ट्यूटर, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
29	1024	डा० आशीष रंजन कुमार	01.03.1978	नालन्दा	अनु०जाति	सदर अस्पताल, शेखपुरा।
30	1016	डा० शशि भूषण कुमार	15.07.1983	पटना	अनु०जाति	सदर अस्पताल, गया।
31	1027	डा० भीमसेन कुमार	25.11.1981	जहानाबाद	अ०पि०वर्ग	सदर अस्पताल, शिवहर।
32	1021	डा० शैलेश कुमार पंकज	01.01.1978	बाँका	पिछड़ा वर्ग	ट्यूटर, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।
33	1088	डा० कौशल कुमार	23.03.1983	मुंगेर	पिछड़ा वर्ग	सदर अस्पताल, जमुई।
34	1054	डा० राकेश कुमार निराला	10.09.1975	मुंगेर	पिछड़ा वर्ग	ट्यूटर, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा।
35	1046	डा० शशिकांत कुमार	01.03.1979	खगड़िया	पिछड़ा वर्ग	सदर अस्पताल, मुंगेर।
36	1020	डा० संजय कुमार	10.02.1980	नालन्दा	पिछड़ा वर्ग	ट्यूटर, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।

956 (2)  
29/6/16

*(Signature)*

2. उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि यदि उनके पूर्व वृत्त एवं चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायेगी तो उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
3. दो वर्षों के बाद नियमानुसार चिकित्सकों की सेवा सम्पुष्ट की जाएगी। इस अवधि में आकस्मिक अवकाश छोड़कर अन्य अवकाश विभाग द्वारा ही स्वीकृत किया जायगा।
4. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे०को० दिनांक 03.07.2007 के अनुसार उक्त चिकित्सकों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
5. स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-7834(2) दिनांक 22.11.1995 के अनुसार नियुक्त चिकित्सक नियुक्ति (प्रभार ग्रहण की तिथि से) की तिथि से दस वर्षों की सेवा पूरी होने तक अथवा पैतालीस वर्षों की आयु प्राप्त करने तक कम से कम चार वर्षों के लिए (प्रशिक्षण अवधि सहित) प्रतिरक्षा सेवा में अथवा भारत वर्ष की सुरक्षा से संबंधित सेवाओं के लिए उतरदायी होंगे।
6. नियुक्त चिकित्सक अपने नाम के सामने आवंटित संस्थान में अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर योगदान करेंगे।
7. लिपिकीय भूल अथवा गलत प्रमाण-पत्र (जाति एवं अन्य प्रमाण-पत्र) के आधार पर यदि कोई नियुक्ति होती है तो उसकी कोई मान्यता नहीं होगी तथा सरकार को उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।
8. सभी नियुक्त चिकित्सक राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का पालन करेंगे और सभी आहूत प्रशिक्षणों में निश्चित रूप से भाग लेंगे।
9. उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों में से यदि कोई बिहार राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धारित टेन्योर अवधि के लिए संविदा पर कार्यरत हैं तो उन्हें उसी संस्थान में नियुक्त करते हुए टेन्योर अवधि तक के लिए पदस्थापित किया गया है। टेन्योर अवधि समाप्ति के उपरान्त वे स्वास्थ्य विभाग में योगदान देंगे।
10. उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों में से कतिपय चिकित्सकों को विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में सीनियर रेजिडेन्ट के पद पर तीन वर्षों के लिए पदस्थापित किया गया है। टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरान्त वे स्वास्थ्य विभाग में योगदान देंगे।
11. सभी नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सक अपने वेतन भुगतान हेतु वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को प्रभार प्रतिवेदन की प्रति भेजेंगे।
12. यदि कोई चिकित्सक उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो वे पदस्थापित संस्थान में योगदान देंगे और उसी दिन अध्ययन हेतु विरमित हो जायेंगे। अध्ययन अवधि समाप्ति के उपरान्त वे पदस्थापित स्थान पर पुनः अपना योगदान देंगे।
13. उपरोक्त सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों के सरकारी सेवा (परिवार नियोजन से संबंधित विशेष उपबंध) नियमावली-1977 की कंडिका-2 में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन संतान संबंधी विवरण (विवाहित होने की स्थिति में) विहित प्रपत्र में समर्पित करेंगे एवं सम्पत्ति का व्यौरा भी प्रस्तुत करने का निदेश दिया जा सकता है। साथ ही उन्हें यह भी निदेश दिया जा सकता है कि वे सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-2785 दिनांक 27.12.2005 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
14. जिन चिकित्सकों द्वारा जाँच के समय विभागीय अधिकृत समिति के समक्ष आवासीय प्रमाण-पत्र एवं कोई अन्य प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं किया गया हों, उन्हें निदेश दिया जाता है कि नियुक्ति पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर वांछित प्रमाण-पत्र अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को समर्पित कर देंगे।




956 (2)  
29/6/16

15. उक्त चिकित्सकों पर बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 लागू रहेगा जिसके तहत वे प्राईवेट व्यापार या नियोजन नहीं करेंगे एवं गैर व्यावसायिक भत्ता की माँग नहीं करेंगे।

16. नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी आवंटित संस्थान में नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष सत्यापन हेतु सभी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। नियंत्री पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि पदस्थापन के पूर्व वे नियुक्त चिकित्सकों के सभी प्रमाण-पत्रों की गहराई से जाँच कर लेंगे और सभी प्रमाण-पत्रों की छाया प्रति रख लेंगे। चिकित्सकों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों में यदि कोई संदेह हो तो उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को तुरन्त दिया जायेगा।

17. आवंटित संस्थान में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

18. सभी नियुक्त चिकित्सक अपना योगदान एवं प्रभार ग्रहण की सूचना अपने नियंत्री पदाधिकारी यथा संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक/सिविल सर्जन/निदेशक/उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

  
(शेखर चन्द्र वीमल)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :-2/नि०-04/16 956 (2) पटना, दिनांक :- 2-9/16/16

प्रतिलिपि :-महालेखाकार (लेखा एवं हक), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि :-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्राचार्य/सभी अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/सभी निदेशक/सभी सिविल सर्जन/सभी उपाधीक्षक/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

यह अधिसूचना विभागीय वेबसाईट--[www.health.bih.nic.in](http://www.health.bih.nic.in) पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

प्रतिलिपि :-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।